भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 279195

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय/

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित बी. कोड:- 1080

महायदा मूल्य	:- 24,00,000/-रूपये
अग्रिम धन	:- 10,00,000/-रूपये
स्टाम्प शूल्क	:- 48,000/-रूपये

हम कि शकील अहमद (**AADHAR NO. 3038 1051 0454**) व लईक अहमद (**AADHAR NO. 7486 5200 8238**) व रईस अहमद

शकील अहमद लईक अहमद रईस अहमद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 279196

2

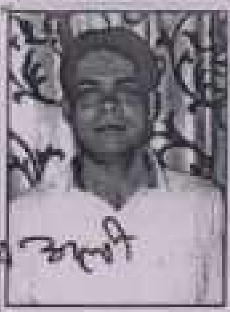

(AADHAR NO. 6859 9017 4534) व महताब अली **(AADHAR NO. 4547 7570 5225)** पुत्रगण श्री नवाब अली निवासीगण ग्राम सुजड़ू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग

शकील अहमद [illegible] अहमद रईस अहमद

महताब अली [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 279197

BY 279197

सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच-हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 279167

व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नही है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, औरं जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारो के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा **चौबीस लाख** 24,00,000/-रूपये मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष

शकील अहमद

रईस अहमद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 279168

की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारो के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक **10–04–2018 ई0** तक का समय निश्चित करते है, प्रथम पक्ष ने मुबलिग **दस लाख 10,00,000/–रूपये** अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से चैको द्वारा प्राप्त किये है। जो बैनामे के निष्पादन

शकील अहमद   रईस अहमद

महताब अली   Suman

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 279169

के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओ के पाबन्द रहेगे। नं01:– यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को

शकील अहमद

आदिल अहमद

रईस अहमद

महताब आलम

[signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 277986

अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:–यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तो की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:– यह कि शेष

शकील अहमद लईक अहमद रईस अहमद

महताब अली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 277987

विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा मे द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत मे करनी पडी तो जो खर्च अदालत मे होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:— यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमे प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 277988

पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्चे से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:– यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:– यह कि निम्नलिखित

शकील अहमद   अहमद   रईस अहमद

महताब अली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 327091

सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:— यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:— यह कि उक्त शर्तो के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य मे भी

शकील अहमद लाईक अहमद रईस अहमद

महताब अली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 327092

पावन्द रहेगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पैर काम आवे। इतिः–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम **सुजडू** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि नम्बर खसरा **2151/1.0070** व **2154/0.4900** हैक्टेयर दो किते कुल क्षेत्र **1.4970** हैक्टेयर का हक व

शकील अहमद लईक अहमद रईस अहमद

न्दताब अली Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 327093

हिस्सा-कुल प्रथम पक्ष 1/8 भाग भागानुसार क्षेत्र 0.1871 हैक्टेयर है। मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी—

साक्षी—

तहरीर ता0:- 17-05-2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

स्टाम्प क्रमांक 18 .... [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 100
अनुज्ञप्ति न0 .... किया गया।
मनोज कुमार [illegible] स्टाम्प विक्रेता
[illegible]
लाइसेंस न0 [illegible] अवधि-31-3-2021 तक

आज दिनांक **17/05/2017** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **9983**

पृष्ठ सं. **265** से **298** पर क्रमांक **3406**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती रश्मि प्रभा (नरेश कुमार नि0सहायक)
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
17/5/2017

उपनिबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश